171/2010

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 23/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 20/11/2024

उनवान

1. मु. हगामी पत्नी स्व. हजारी भील निवासी सांवता तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़
2. तहसीलदार, भूपालसागर
3. ग्राम पंचायत, सांवता जरिये सचिव, ग्राम पंचायत सांवता

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री के.सी.तुलछिया, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि ग्राम सांवता के हल्के बैरूनी में चालू पैमाइश की आ.सं. 1364 रकबा 0.67 है. तथा आ.सं. 1365 रकबा 1.65 है. कुल किता 2 रकबा 2.32 है. स्थित है जिसका संवत 2012 की पैमाइश की आ.सं. 795 मी. रकबा 15 बीघा था। उक्त आराजी जैरबहस पर प्रार्थिया व उसका पति हजारी पिता किसना भील का कब्जा सन् 1970 यानि सम्वत 2027 से पहले का चला आ रहा है प्रार्थिया का पति का भी इन्तकाल हो गया है। प्रार्थिया अभी भी उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रही है तथा पेनल्टी व कुल फसल प्रतिवादी सरकार को देती चली आ रही है इस आराजी नंबर में से 3 बीघा भूमि इन्तकला नं. 421 जरिये एलोटमेंट मांगू पिता गोकल गाडरी को अप्रार्थीगण ने एलोट सन् 1993 में कर दी बकाया रकबे पर प्रार्थिया का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है इस आराजियात को प्रार्थिया ने काफी रूपया व परिश्रम करके काबिज काश्त बनाया है इसके चारों तरफ प्रार्थिया व उसके पति ने डोल लगवाई थोहर लगवाये व काश्त के काम में ले रही है। प्रार्थिया अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला होकर उसके परिवार का यही एकमात्र गुजर बसर का आधार है प्रार्थिया के नाम पर या प्रार्थिया के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त की भूमि नहीं है इसलिए प्रार्थिया का उक्त भूमि पर 40 साल से भी अधिक समय [illegible] से प्रार्थिया यह घोषणा कराये जाने की अधिकारिणी है कि प्रार्थिया इस भूमि की [illegible] काश्तकार हो गई है। प्रार्थिया व उसके पति ने राजस्थान सरकार के अप्रार्थी अधिकारियों को [illegible] यह भूमि प्रार्थिया के नाम एलोट करने के लिए आवेदन किया लेकिन कोई आवंटन नहीं किया गया लेकिन इसी नंबर में से 3 बीघा भूमि मांगू पिता गोकल गाडरी निवासी सांवता को आवंटित कर दिनांक 11.06.1996 उसके नाम गैर खातेदारी हक से उसके नाम जमाबंदी में अंकन भी कर दी गई। मेरे साथ अभी तक कोई न्याय नहीं किया गया जबकि मैं प्रार्थिया राजस्थान सरकार से उक्त भूमि प्राप्त करने की प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 18:22:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

पात्रता रखती है। प्रार्थिया ने दिनांक 15.07.2010 को भी अप्रार्थीगण को निवेदन किया कि उक्त आराजियात प्रार्थिया के नाम पर पुराने कब्जे के अनुसार नियमन की कार्यवाही करने की कृपा करावें फिर भी अप्रार्थीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थिया का 40 वर्ष पुराना कब्जा हटाने पर आमादा है इसलिए यह घोषित कराया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रार्थिया विवादित आराजियात की खातेदार हो गई है तथा प्रार्थिया के नाम पर खातेदारी हक से उक्त आराजी का अंकन कराया जावे। अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थिया का कब्जा हटाने के लिए उनके अधिनस्थ कर्मचारियों के मार्फत प्रयासरत है। पक्ष प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई के अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजियात पर से प्रार्थिया का कब्जा नहीं हटावे, प्रार्थिया के कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करें, फसल को नुकसान नहीं पहुंचावे, अन्य को आवंटित नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। पैरोकार सरकार तहसीलदार, भूपालसागर ने जवाब पेश कर अपने जबाव में अंकित किया कि वाद वर्णित पैरा 1 व 2 अस्वीकार है, ग्राम सांवता की हाल आ.सं. 1364 रकबा 0.67 है. व आ.सं. 1365 रकबा 1.65 है. कुल किता 2 रकबा 2.32 है. वर्तमान में चारागाह के रूप में दर्ज रिकार्ड होकर ग्राम के पशु चराई के रूप में उपयोग में आ रही है। चारागाह भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिबंधित होने के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में यह भी सिद्ध नहीं होता है कि वादिया का लगातार कब्जा रहा है। अतः पैरा 2 अस्वीकार है। पैरा मनगढंत एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है, पैरा 4 अस्वीकार है। चारागाह भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे वह अनु. जाति को हो, अनु. जनजाति का हो, गरीब हो या विधवा हो। यह प्रतिबंधित भूमि है जो पशुचराई के ही उपयोग में ही ली जा सकती है। अतः पैरा अस्वीकार है। पैरा 5 अस्वीकार है भूमि चारागाह है खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं, पैरा 6, 7 अस्वीकार है, पैरा 8 से 12 मा. न्यायालय के विचारणीय है। प्रा.पत्र 13 अस्वीकार है, प्रकरण कोई आवश्यक प्रकृति का नहीं है तथा प्रार्थिया चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से प्रस्तुत किया है, जो अस्वीकार है। पैरा 14 में जवाब अपेक्षित नही है। पैरा 15 में प्रार्थिया की प्रार्थना अस्वीकार है, चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार पैरा 2 में वर्णित अनुसार प्रतिबंधित होने से प्रदान नहीं किये जा सकते है। प्रार्थिया चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना चाहती है तथा स्थगन प्राप्त कर अतिक्रमण को लगातार करके भूमि हथियाना चाहती है। अतः चारागाह भूमि पर स्थगन सरकार के विरूद्ध नहीं दिया जा सकता है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम रखी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Purit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 18:22:08 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गोलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर